तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कोटड़ा (भीलवाड़ा)
11.6.18	पजावती मुकाम 12 नीमपुर पर राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। आगंतुक उपस्थित आगंतुक निर्देश निस्तारपूर्वक सुना गया। वादी ने अपना पक्ष के बाद पेश किये तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गाजूणा पटवारहल्का 12 नीमपुर स्थित आराजी 3499 रकबा 17.19 बीघा भूमि खिलानाम दर्ज है। जिस पर वादी के पिता के जीवनकाल से ही वादीगण का कब्जा एवं काश्तकार आ रहा है। यह भूमि खिलानाम होकर राज्य पक्ष के नाम दर्ज है चूंकि भूमि पर लगभग विगत 30 वर्ष से काबिज होने के कारण एडवर्स पजेशन के आधार खातेदार काश्तकार होने की पात्रता रखने से यह राजस्व वाद U/S 88-89 तथा 188 R.T.A. किन्तु प्रतिवाद प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुतोष चाहा गया। इसके विपरीत राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा खण्डन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजी 3499 वादीगणों द्वारा आधिपत्य कब्जा अवश्य किया गया परन्तु प्रति वर्ष इन्हें गौ के से बेदखल किया जाता रहा है। तथा निरन्तर कब्जा कभी भी नहीं रहा है। साथ ही पेरोकार सरकार द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि

11.6.18 N.T.

Scanned by CamScanner

उपखंड अधिकारी

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
कपेड़ा (भीलवाड़ा)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

भूमि सुधार अधिनियम के तहत एडवर्स पजेशन के आधार पर वही व्यक्ति नियमन का पात्र है जो भूमि को सुधार कर, उसमे कर के, चक लगा कर उपजाऊ बनाता है। जबकि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि कभी भी काश्त कारी उपयोग हेतु नहीं ली जाकर केवल मात्र बाड़ा बनाने की गरज से तथा रास्ता रोपया। इसपने के उद्देश्य से अनाधिकृत रूप से अतिचार किया है।

अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दिलाये जाने की जो मांग की है वह सर्वथा नियमों के विपरीत होकर अतिक्रमण को बढ़ावा दिये जाने की गरज से नियमानुसार अर्हता को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र कोरस पेपर की श्रेणी मे आते है तथा वादी की दियागत की जाती है कि भविष्य में निराधार वाद पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय का समय जाया नहीं करे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सिरे प्रतिवादी खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

Scanned by CamScanner

तारीख
हुक्म

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
केरेड़ा (भीलवाड़ा)

उपखंड अधिकारी

वादीगणों को किसी प्रकार का कोई अनुतोष देय नहीं है। पालना में तहसीलदार केरेड़ा को लिखा जावें। तदनुसार डिक्री सुरक्षित है।

पत्रावली दफ्तर निस्तर से कम किया जाए जोरदल रवाना हो।

दिनांक आज दिनांक 11.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर केरेड़ा

Scanned by CamScanner

प्रपत्र-5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .....कोटड़ा.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा

उनवान

श्रीश्वर सिंह/अरविंद बनाम रामस्थान राज्य एवं अन्य

दावा बाबत् दावत वाहन कब्जा

88, 89, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :- 54/17

निर्णय दिनांक :- 11-6-18

वादी की ओर से दावा की व प्रतिवादी की ओर से दावा

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11-6-18 को (नाम पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पर विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक किये जाने से आदेश पारित किए जाते हैं। वादीगणों को किसी प्रकार का कोई अनुतोष देय नहीं है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

* अनावश्यक पृष्ठ पर अंकित है।

उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर कोटड़ा

( )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर .....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. सक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

પ્રતિવાદી

1. શ્રી શંકર સિંહ પિતા શ્રી સિંહ રાજપુત
   વિ. ગામપુર તા. કરેડા
2. શ્રી ડુંગર સિંહ પિતા શ્રી સિંહ રાજપુત
   વિ. ગામપુર તા. કરેડા
3. શ્રી ગોપાલ સિંહ પિતા શ્રી સિંહ રાજપુત
   વિ. ગામપુર તા. કરેડા

— વાદીગણ

વિષય

રાજસ્થાન રાજસ્વ અધિનિયમ તહસીલદાર
કરેડા

પ્રતિવાદી